14.12.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.11.21 को जो आदेश पारित किया गया वो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्ड खातेदार है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश सदभावी रिकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध पारित किया गया। रेस्पो./वादी का अपीलाधीन आराजी पर कोई हक हिस्सा नहीं है। अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के उपरान्त तीनो बिंदु अपीलांटगण के पक्ष

[illegible] अपील अधिकारी
जालोर

P.T.O.

में है। अतः अपीलांटगण के पक्ष में दिनांक 23/11
को पारित स्थगन आदेश की अवधि आगे बढ़ाते
हुए ता फैसला वाद कन्फर्म किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पो. ने बहस करते हुए ~~पारित~~ निवेदन
किया कि अपीलाधीन आराजी वादीगण की पैतृक
भूमि है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष
विचाराधीन है वाद के विचारण में रहते वादग्रस्त
भूमि को खुर्द-बुर्द किया जाता है तो व्यर्थ ही
मुकदमेबाजी बढ़ेगी। वादीगण के हक पूर्वाधिकारी
रूपा चन्द काना के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं।
उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण वाद के निस्तारण
पर ही संभव है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा
का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु रेस्पो./वादीगण
के पक्ष में है। अतः रेस्पो. के पक्ष में पारित आदेश
दिनांक 23.11.2021 को ता वाद फैसला कन्फर्म
करते हुए अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी
एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने
पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि मूल वाद
अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान
के हितों का निर्धारण वाद के निस्तारण पर ही
संभव है। वाद के विचारण में रहते अपीलाधीन
आराजी के मौके एवं रिकॉर्ड में परिवर्तन होता
है तो व्यर्थ ही मुकदमेबाजी बढ़ेगी। मामला प्रथम
दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय
क्षति के बिंदु रेस्पो./वादी के पक्ष में है। अतः
उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में
अपीलांटगण की अपील खारिज की जाती है
तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 20.04.2021 को ता फैसला बाद के बेफर्ग किया जाता है। पत्रावली पेशान शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे।	
	राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	